संख्या- 296 /2026/ 593(1)/नौ-9-2026-002-ई-1911195

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांकः 07 सितम्बर, 2026

विषय- CITIIS 2.0 योजना के अंतर्गत बरेली हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-4410/113(1)/CITIIS2.0/2025-26, दिनांक 28.04.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No. 142_efile9187168_motsanctionCom-1_2026-27_CITIIS2, दिनांक-27.04.2026 द्वारा CITIIS 2.0 योजना के अंतर्गत बरेली हेतु रू0 7.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करते हुये मदर सेंक्शन निर्गत की गयी है। उक्त के अनुक्रम में CITIIS 2.0 योजना के अंतर्गत बरेली हेतु निकायांश सहित धनराशि रू0 9,37,50,000.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एस0एन0ए0 स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. अवमुक्त धनराशि का भुगतान निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत साइबर ट्रेजरी के माध्यम से नियमानुसार की जायेगी।
2. उक्त धनराशि का व्यय CITIIS 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों प्रतिबन्ध, दिशा-निर्देशों एवं गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
5. कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी निकाय अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
6. नगर निकाय योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नगर निकाय द्वारा 'सैंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित नगर निकाय के अश की धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण करेंगे।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 9,37,50,000.00 (रुपये नौ करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217050510117 स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बरेली शहर हेतु CITIIS 2.0 **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या–E-9-75-X-2026-27, दिनांक: 07 सितम्बर,2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 07-09-2026 19:10:49

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या- 296 /2026/ 5930/नौ-9-2026-002-ई-1911195, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, बरेली।
4. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. जिलाधिकारी, बरेली।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
9. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, बरेली।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।

वी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A009-20262027-Reapp-1911195-CITIIS2.0

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगरा एवं बरेली शहर हेतु (CITIIS 2.0) योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217801910500 (नगर निगमों के उत्कृष्ट नवीन कार्यालय भवन का निर्माण)	35 (पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान)	2,50,00,00,000 रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र	2,50,00,00,000 रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र	-21,87,50,000 रुपये इक्कीस करोड़ सतासी लाख पचास हजार मात्र	21,87,50,000 रुपये इक्कीस करोड़ सतासी लाख पचास हजार मात्र	228,12,50,000 रुपये दो सौ अट्ठाईस करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र	2026-2027

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध /विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217050510116 (स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगरा शहर हेतु CITIIS2.0)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	0 शून्य	12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	2026-2027
037	2217050510117 (स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बरेली शहर हेतु CITIIS 2.0)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	0 शून्य	9,37,50,000 रुपये नौ करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार मात्र	9,37,50,000 रुपये नौ करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार मात्र	9,37,50,000 रुपये नौ करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार मात्र	2026-2027

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-1 मे अंकित लेखाशीर्षक- 2217801910500 (नगर निगमों के उत्कृष्ट नवीन कार्यालय भवन का निर्माण) के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध है।

(2) स्तम्भ-8 में अंकित लेखाशीर्षक- 2217050510116 (स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगरा हेतु CITIIS 2.0) एवं 2217050510117 (स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बरेली हेतु CITIIS2.0) योजनान्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

संख्या: आर.ई.संख्या-बजट-1-47-2026-27, दिनांक-22.07.2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

(राजेश्वरी प्रसाद)

उप सचिव।

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)

अपर निदेशक।

संख्या : आर.ई.संख्या-बजट-1-47-2026-27, दिनांक-22.07.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
6. सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
9. कम्प्यूटर सेल/गार्ड बुक।

आज्ञा से

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।